सन्मार्ग

Regional News Paper	Edition : Ranchi (Jharkhand)	Circulation: 11782
Date: 13.07.2026	Page No.	Serial No.:

MMDR एक्ट के तहत CISF की बड़ी कार्रवाई

कोयला जब्त करते सीआईएसएफ के जवान

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

सांकतोड़िया : खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत प्राप्त नए अधिकारों के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कोयला क्षेत्रों में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीआईएसएफ ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाकर 110 मीट्रिक टन अवैध कोयला और परिवहन में इस्तेमाल हो रहा एक ट्रैक्टर जब्त किया है। यह छापेमारी सीआईएसएफ कमांडेंट राहुल सिंह गौतम के निर्देश पर की गई। कमांडेंट राहुल सिंह गौतम ने कहा कि अवैध कोयला खनन से न केवल ईसीएल को बल्कि केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व की भी भारी क्षति होती है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण खदानों में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति या माफिया नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में इस प्रकार के बड़े अभियान जारी रहेंगे।